कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक, राजस्थान, जयपुर

क्रमांकः एफ 21(5)2024–25 / नाबार्ड–4 / विकास / प्रमुवसं / 2895 दिनांकः 03.06.2024

कार्यालय आदेश

नाबार्ड वित्त पोषित Project for Development of Water Catchment through Greening of Rajasthan under RIDF-XXVI Phase-IV परियोजना के क्रियान्वयन हेतु सलंग्न तालिका के अनुसार वर्ष 2024–25 हेतु **राशि रू. 5.57 लाख का संलग्न परिशिष्ट ।** ~~लक~~ के अनुसार भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य आवंटित किया जाता है। परियोजना का पूर्ण अध्ययन कर योजना के अनुरूप कार्यों का क्रियान्वयन प्रारंभ किया जाना सुनिश्चित किया जावें। अतः परियोजना के क्रियान्वयन हेतु निम्नानुसार कार्यवाही सुनिश्चित करें :–

1. परियोजना के कार्यो को शुरू कराने के पूर्व प्रारम्भिक तैयारी, कार्य स्थल का चंयन, बेसलाइन सर्वे कार्य, VFMCs/EDC का गठन, माइक्रोप्लान तैयार करना, साइट का नक्शा तैयार करने तथा वनकर्मियों एवं VFMCs/EDC सदस्यों को प्रशिक्षण दिया जावें। उक्त कार्य हेतु स्थानीय स्वयं सेवी संस्थाओं की आवश्यकता के अनुरूप चयनित किया जावें तथा वांछित कार्य करवाया जावें।
2. योजना का क्रियान्वयन करने से पूर्व गांव का निर्धारित फॉर्मेट में सूक्ष्म नियोजन प्लान बनाया जावे तथा उसकी उप वन संरक्षक स्तर से स्वीकृति प्राप्त की जाकर ही कार्य प्रारंभ कराया जावे । यदि कोई माइक्रोप्लान अपडेट किया जाना है तो उसमें आवश्यक संशोधन कर पुनः स्वीकृति सक्षम स्तर से प्राप्त किया जावे।
3. योजना का क्रियान्वयन जलग्रहण क्षेत्र में कलस्टर पर आधारित ही किया जाना है। अतः परियोजना के डाक्यूमेंट को दृष्टिगत रखतें हुए, कलस्टर का चयन किया जावें।
4. जिस गांव में भी काम करवाया जा रहा है उसकी वन सुरक्षा समिति का गठन किया जाकर पंजीकरण आवश्यक रूप से करवाया जावे तथा सुरक्षा समिति सदस्यों को गहन प्रशिक्षण दिया जावें।
5. परियोजना के दिशा–निर्देशों के अनुरूप स्वीकृत कार्यों पर की गई राशि के उपयोग जिन कार्यों के लिये राशि आवंटित की गई है उन्हीं पर नियमानुसार व्यय की जावे ।
6. नाबार्ड द्वारा स्वीकृति NB SPD/2271/RIDF-XXVI (Rajasthan)/ 64thISC/ 2020-21 Dated 24-09-2020 के साथ संलग्न अनुसूची में दिये गये सुझावों तथा ऋण जिन शर्तो पर लिया गया है उसकी पालना सुनिश्चित की जावे। इसके साथ ही इस कार्यालय एवं वित्त विभाग द्वारा समय–समय पर प्रसारित दिशा–निर्देशों की पालना भी सुनिश्चित करावें । आवंटित राशि से अधिक राशि व्यय नहीं की जावे।
7. परियोजना की राशि में से संस्थापन तथा किराये के वाहन, वाहनों का क्रय तथा उनके रखरखाव आदि पर व्यय नहीं किया जाकर उपलब्ध स्टॉफ एवं संसाधनों का ही उपयोग किया जावेंगा। राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम – 2012 एवं नियम– 2013 प्रभावी है। अतः परियोजना के कार्यो के सम्पादन मे उक्त अधिनियम एवं नियम की पालना भी सुनिश्चित करे।
8. परियोजना में लिए जा रहे कार्यो का किसी अन्य विभागीय परियोजना के कार्यो से Overlaping नही हो।
9. परियोजना के अन्तर्गत इस प्रकार की कोई गतिविधि एवं कार्यो पर व्यय नही किया जावेंगा जो प्रतिबंधित हो / अन्य योजनाओं में शामिल हो अथवा क्रियान्वित करवाई जा चुकी हो / करवाई जा रही हो।
10. प्रत्येक विकास कार्य का प्राक्कलन बना कर ही कार्य प्रारंभ होने से पूर्व सक्षम स्तर से स्वीकृति प्राप्त कर करवाया जाना सुनिश्चित किया जावे ।
11. परियोजना की प्रगति समयबद्ध तरीके से की जाकर इस कार्यालय को निर्धारित प्रपत्रों तिथि पर सूचित किया जावे ।
12. वन क्षेत्रों का ट्रीटमेंट यथा सम्भव कार्य योजना / वन्यजीव क्षेत्रों हेतु मैनेजमेन्ट प्लान अनुसार सम्पादित करें।
13. नाबार्ड फेज–1 एवं फेज–2 की क्रियान्वति के लिए विस्तृत मार्गदर्शिका तैयार आपके कार्यालय को उपलब्ध कराई गयी है।
14. उक्त आवंटन में यदि इसमे किसी प्रकार के संशोधन की आवश्यकता हो तो विवरण सहित 20 जून 2024 तक अनिवार्य रूप से अवगत करावें।

15. समस्त मुख्य वन संरक्षक गण को राज्य सरकार के आदेश कमांक प01(2)वित्त / सा.वि.ले.नि. / 2005 दिनांक 13.12.2013 द्वारा विभागाध्यक्ष घोषित किया गया है। इस योजना का पूर्ण समन्वयन तकनीकी मार्गदर्शन तथा प्रकियाओ की पालना कराने की उत्तरदायित्व सम्बन्धित मुख्य वन संरक्षक गण का होगा। अतः समस्त मुख्य वन संरक्षक गण वन विकास कार्यो का कियान्वयन परियोजना के अनुसार करवाने की सुनिश्चितता करे।
16. समस्त मुख्य वन संरक्षक गण वन विकास कार्यो का पूर्ण रिकार्ड व वन सुरक्षा समितियों के स्तर पर संधारित किये जाने वाले रिकार्ड संधारण की पूर्ण सुनिश्चिता करवायेगे।
17. मुख्य वन संरक्षक गण प्रतिमाह उप वन संरक्षक गण की बैठक आयोजित कर योजना की गतिविधियों का पैकेजवार कियान्वयन सुनिश्चिता करवायेगे।

Shikha
(शिखा मेहरा)
अति0 प्रधान मुख्य वन संरक्षक, (विकास),
राजस्थान, जयपुर

कमांकः एफ 21(5)2024–25 / नाबार्ड–4 / विकास / प्रमुवसं / 2896 – 2903 **दिनांकः** 03.06.2024
प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. मुख्य वन संरक्षक उदयपुर/वित्तीय सलाहकार, वन विभाग, अरण्य भवन, जयपुर।
2. उप वन संरक्षक,, उदयपुर, उदयपुर (उत्तर), प्रतापगढ,
3. कम्प्यूटर अनुभाग वन विभाग,राजस्थान, जयपुर को वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु ।
4. प्रभारी अंक मिलान (लेखा शाखा) / संकलन शाखा (साख्यिकी अनुभाग) / रक्षित पत्रावली

संलग्नः– उक्तानुसार

(सेडूराम यादव)
मुख्य वन संरक्षक (आयोजना)
राजस्थान, जयपुर

OFFICE OF THE PRINCIPAL CHIEF CONSERVATOR OF FORESTS, RAJASTHAN, JAIPUR
BUDGET ALLOCATION UNDER NABARD RIDF -XXVI PHASE - IV PROJECT FOR YEAR 2024-25

BUDGET HEAD : DEMAND NO. 09 (CAPITAL) STATE PLAN

4406–वानिकी तथा वन्य जीव पर पूंजीगत परिव्यय

01–वानिकी

102–समाज तथा फार्म वानिकी

(14)-NABARD KE SAHYOG SE VANIKARAN KARYA

16–लघु निर्माण कार्य

Phy. In unit. Fin.in Lacs

S. NO.	TYPE OF WORK	UNIT	UNIT COST (IN RS.)	CCF, Udaipur						TOTAL	
				DCF, Udaipur		DCF, Udaipur (N)		DCF, Pratapgarh			
				Phy.	Fin.	Phy.	Fin.	Phy.	Fin.	Phy.	Fin.
PACKAGE 3 : SOIL & MOISTURE CONSERVATION											
3.1	Contour bunding With Field Outlet (per h. 125 RMT)	ha.	11165	25	2.79					**25**	**2.79**
3.2	Check Dams	No	31770	2	0.64	3	0.95	2	0.64	**7**	**2.22**
3.3	Farm Pond	No	55810	1	0.56					**1**	**0.56**
	TOTAL				**3.98**		**0.95**		**0.64**		**5.57**

Shikha
(Shikha Mehra)
Addi. Principal Chief Conservator of Forest (Dev.)
Rajasthan, Jaipur